40
2013 — अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A33
7

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 40/13

राजवन्ती पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी जरिये सरपंच, पं. सं0 सादुलशहर।
2. रघुवीर पुत्र गुरदयालराम जाति जाट निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर।

अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्व पट्टा दिनांक 25—9—97 भूखण्ड सं0 बी/4 व बी/8
निगरानी अ0 धारा 97 राज0 पंचायत राज अधिनियम, 1994

उपस्थित : श्री गुरचरणसिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री सतीश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2

आदेश **दिनांक : 22 अगस्त, 2016**

प्रस्तुत निगरानी के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता को रिहायशी अहाता सं0 बी/84 साईज 60 गुणा 75 फुट कुल 4500 वर्गफुट दिनांक 19—3—91 को 1500 रूपये में निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा अलॉट किया गया था। रोकड़ बही में राशि का इन्द्राज किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वर्ष 1997 में आवंटन शुदा अहाता को बिना किसी अधिकार के गैरकानूनी रूप से परिवर्तन करते हुए अप्रार्थी सं0 2 को एक पट्टा विधि विरूद्व जारी कर दिनांक 25—5—97 को निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन कर दिया। दिनांक 19—3—91 के आवंटन निरस्त नहीं करवाया गया है। आवंटन के बाद कब्जा मौके पर दे दिया गया था। पूर्व में ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा एक ही दिन में दिनांक 25—6—99 को भिन्न—2 व्यक्तियों को कुल 54 पट्टे जारी किये थे जिसके संबंध में निगरानियॉं प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा पट्टे निरस्त किये गये थे। निगरानीकर्ता को आवंटित भूखण्ड को किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है। निगरानीकर्ता को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। राज0 पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम 140 से 168 की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत भूखण्ड जो अप्रार्थी सं0 2 को आवंटित किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निगरानी से संबंधित ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है।

निगरानीकर्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा निगरानीकर्ता को अहाता सं0 बी/84 साईज 60 गुणा 75 फुट कुल 4500 वर्गफुट दिनांक 19–3–91 को 1500 रूपये में आवंटित कर पट्टा जारी किया गया था तथा नियमानुसार राशि जमा करवा कर, मौके पर कब्जा दे दिया गया था। आवंटन की दिनांक से कब्जा निगरानीकर्ता का चला आ रहा है। ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा परिवर्तन करते हुए, पूर्व में जारी पट्टे को विधिसम्मत् तरीके से निरस्त करवाये बिना अप्रार्थी सं0 2 को निगरानीकृत पट्टा दिनांक 25–5–97 को विधि विरूद्व जारी कर भूखण्ड सं0 बी/4 व बी/8 का आवंटन कर दिया। आवंटन से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई हेतु विधिसम्मत् नोटिस जारी नहीं किया गया है । ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा ग्राम पंचायत के नक्शा में गलत रूप से कॉट छॉट करते हुए भूखण्ड सं0 बी 83 से लेकर बी 113 तक के भूखण्डों को अपनी जगह से उठाकर पुरानी आबादी की जगह पर धकेल दिया और नक्शा में कॉट छॉट करते हुए उस जगह पर गलत रूप से भूखण्ड सं0 बी 2 से बी 8 तक अंकित कर दिया। **विकास अधिकारी, पं0 सं0 सादुलशहर द्वारा कमेटी बना कर की गई जॉच रिपोर्ट में दिनांक 23–8–13 से स्पष्ट है कि सरपंच व ग्राम सचिव द्वारा ले आउट प्लान सन् 1984–85 में भारी कॉट छॉट की गई है।** निगरानीकर्ता को आवंटित भूखण्ड सं0 बी 83 के स्थान पर नक्शा में कॉट छॉट करके दोहरा आवंटन किया गया है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर एल डब्ल्यू 2010(4) पेज 3575 प्रयागचन्द बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य, सिविल रिट याचिका सं0 549/09 का निर्णय पारित करते हुए दोहरे आवंटन को अवैध माना है। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने लिखित बहस के पैरा सं0 3 में वर्णित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 262 दिनांक 3–9–13 को पुलिस थाना सादुलशहर में दर्ज हुई थी, जिसके अनुसंधान के दौरान थानाधिकारी पुलिस थाना सादुलशहर द्वारा ए0वी0एम0 इन्जीनियरस से मौका का ले आउट प्लान तैयार करवाया था जिसका मूल्याकंन करने से स्पष्ट है कि विवादित स्थल के सामने भूखण्ड सं0 बी 90–91–92–93 स्थित हैं। इन प्लाटों में इनके मालिकों द्वारा मौका पर निर्माण भी कर रखा है। भूखण्ड सं0 बी 96–97 में आदराम पुत्र निकूराम, अमी लाल पुत्र निकू राम का मकान बना हुआ है। भूखण्ड सं0 बी 92 व बी 93 में चन्दूराम पण्डित का मकान बना हुआ है। **थानाधिकारी द्वारा तफतीश के दौरान मंगवाये गये ले आउट प्लान का मिलान ग्राम पंचायत के सन् 1984–85 के ले आउट प्लान से करने पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और भूखण्ड सं0 बी 90–91 के सामने भूखण्ड सं0 बी 82 व बी 83 स्थित होना पाया जाता है जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा ले आउट प्लान से छेड़छाड़ करते हुए गलत तरीके से अप्रार्थी सं0 2 के हक में भूखण्ड सं0 बी 4 अंकित करते हुए विधि विरूद्व तरीके से आवंटन किया गया है।** ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा राज0 पंचायत राज अधिनियम के नियम 142 से 156 तक की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय विलेख पुराने नियम के अन्तर्गत जारी किया गया है जबकि नियम 167 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जाना चाहिये था।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

नियम 167 में दी गई व्याख्या के अनुसार नियम 153 के अन्तर्गत बोली की पुष्टि होने के बाद नियम 166 के अन्तर्गत अपील किये जाने की समयावधि 30 दिवस निकल जाने के बाद ही विक्रय विलेख जारी किये जाने का प्रावधान दिया हुआ है। अप्रार्थी सं0 2 के हक में जो विक्रय विलेख जारी किया हुआ है, उसमें आवंटन की पुष्टि दिनांक 25–9–97 अंकित है और उसी दिन पट्टा जारी किया गया है जबकि दिनांक 25–10–97 के बाद पट्टा जारी किया जाना चाहिये था और जारी विक्रय विलेख पर नियम 167(2) के अनुसार संयुक्त रूप से सचिव व सरपच के हस्ताक्षर होने थे, जो जारी विक्रय विलेख पर नहीं है। समस्त कार्यवाही बंद कमरे में बैठकर बिना रेकार्ड व बिना मौका देखे गलत रूप से अन्य लोगों को नुकसान कारित करने के लिए की गई है । इस संबंध में फौजदारी प्रकरण पुलिस थाना सादुलशहर में विचाराधीन है। विकास अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार रिकार्ड व मौका नक्शा में कॉट छॉट करके भूखण्डों की स्थिति को बदला गया है और उसके बाद पंचायत के पुराने ले आउट प्लान के साथ छेड़छाड़ की गई है। नियम 142 के अन्तर्गत व0 नगर नियोजक से नक्शा का अनुमोदन नहीं करवाया गया है। अपने तर्क के समर्थन में डी0एन0जे0 पेज 340 एवं बी0एन0जे0 वॉलियम थर्ड पेज 1399 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इसी संबंध में आर एल आर 1996(1) पेज 27 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया है। **निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने बहस में यह भी वर्णित किया है कि इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में निगरानी सं0 45/13 एवं 47/13 में निर्णय पारित कर निगरानीकृत पट्टों को खारिज करने के आदेश दिये हैं।** ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा आवंटन से पूर्व उप पंजीयक कार्यालय से सम्पति के संबंध में डी0एल0सी0 रेट प्राप्त नहीं किये गये हैं। पृथ्वीराज व रघुवीरसिंह के कहने से जो विकास अधिकारी द्वारा जॉच की गई है, वह न्यायालय के आदेश से नहीं की गई है इसलिए ऐसी जॉच को नहीं पढ़ा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25–6–99 को लगभग 54 व्यक्तियों को एक ही दिन में पट्टे जारी कर दिये थे। विकास अधिकारी के ध्यान में आने पर इस न्यायालय में निगरानियॉ विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो स्वीकार की जाकर निगरानीकृत पट्टे खारिज किये गये थे। तत्कालिन उसी सरपंच द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को दिनांक 25–9–97 को भूखण्ड सं0 बी–4 व बी–8 का पट्टा जारी कर दिया जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व हैं। अवैध आदेश के विरूद्व कभी भी निगरानी की जा सकती है। वैसे भी माननीय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी को अन्दर मियाद माने जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत भूखण्ड निरस्त फरमाये जावें।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि निगरानी किस आदेश/पट्टा या निर्णय या प्रस्ताव के विरूद्व पेश की गई है, का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानीकृत पट्टा या प्रस्ताव या निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है। निगरानीकृत पट्टे की फोटो प्रति पेश की गई है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। निगरानीकृत भूखण्ड के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद लंबित है। निगरानीकर्ता जिन भूखण्डों के बारे में कथन करता है वह मौके पर है ही नहीं ।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निगरानीकर्ता का भूखण्ड होना नहीं पाया जाता है। ग्राम सेवक की रिपोर्ट अनाधिकृत है क्योंकि न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मॉगी ही नहीं गई। वर्ष 1991 में आवंटित किये गये भूखण्ड प्रमाणित नक्शे के भूखण्डों के पास आबादी की खाली जमीन में प्लाट बनाकर अलॉट किये गये। वर्ष 1997 में खाली पड़े प्लाट जो प्रमाणित (ले आउट प्लाट) नक्शे में इन्हें अलॉट किया गया। वर्ष 1991 एवं 1997 के दोनों अलॉटमैन्टों की जगह अलग–2 है। वर्ष 1997 के भूखण्ड पर पट्टा जारी होने के बाद से काबिज है। वर्ष 1991 के भूखण्ड खाली पड़े हैं । दिनांक 12–8–13 को 20–25 आदमी एक राय होकर वर्ष 1997 के भूखण्ड जिनकी चारदिवारी बनी है, रात के समय काबिज हो गये। इस पर पुलिस थाना सादुलशहर में आवंटियों द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया तथा पुलिस द्वारा 15–16 आदमियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। नाजायज कब्जाधारियों ने कब्जे में कॉट छॉट का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान एफ0 आर0 लगा दी गई है। न्यायालय से स्थगन लेकर वर्ष 1997 के आवंटित प्लाटों में बृजलाल वगैरा काबिज हो गए हैं जबकि इनके प्लाट खाली पड़े हैं। ग्राम पंचायत का मूल रेकार्ड एवं मूल अनुमोदित नक्शा ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी का पेश किया है, उसमें निगरानीकर्ता के भूखण्ड हैं ही नहीं। निगरानी से पूर्व अपील का प्रावधान है। निगरानीकर्ता को पहले अपील पेश करनी चाहिये थी। पंजीकृत दस्जावेत को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है और न ही क्षेत्राधिकार है। निगरानी अत्यधिक देरी से पेश की गई है – इस आधार पर निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। अपने इस तर्क के समर्थन में वर्ष 2006(1) डब्ल्यू एल सी राजस्थान पेज 122 एवं 2010 डब्ल्यू एल सी (यू0सी0) पेज 11 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। निगरानीकर्ता द्वारा अपने विधिक अधिकार के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अपने स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। कथित भूखण्ड की परिसीमाओं का वर्णन नहीं किया गया है। अपने इस तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 1994(2) सिविल कोर्ट कैसेज पेज 673 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि न्यायालय में झूठी व असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आधार पर निगरानीकर्ता एवं संबंधित ग्राम सचिव अथवा अन्य के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावे एवं अन्य न्यायोचित आदेश पारित किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

जहॉ तक दोहरे का आवंटन का प्रश्न है, पत्रावली में शामिल पट्टा जो ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा निगरानीकर्ता के पति दयाराम को 1500–00 रू0 में (अखरे रूपये एक हजार पॉच सौ) नियम 266 रा0 पं0 एवं न्याय उप स. नियम 1961 के अन्तर्गत में भूखण्ड सं0 बी 84 दिनांक 19–03–1991 को आवंटन किया गया था। पट्टे की पुश्त पर निगरानीकृत भूखण्ड का नजरी नक्शा अंकित है जिसकी राशि उसके द्वारा नियमानुसार जमा करवाई गई थी। ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये पट्टा रजिस्टर में पट्टा सं0 50 निगरानीकर्ता के पति दयाराम को भूखण्ड बी/84 का पट्टा जारी किया गया है जिसे किसी भी समक्ष न्यायालय द्वारा उसका पट्टा निरस्त नहीं किया गया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आवंटित शुदा भूखण्ड को, अप्रार्थी सं0 2 को निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 25–9–97 द्वारा 1000–00 रूपये में आवंटन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि निगरानीकृत पट्टा भूखण्ड सं0 बी 84 साईज 75 गुणा 60 फुट जो ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 25–9–97 से एक हजार रूपये में अप्रार्थी सं0 2 रघुवीर पुत्र गुरदयाल राम को नियम 271 के अन्तर्गत आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी से प्राप्त मूल रेकार्ड बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25–9–97 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा दिनांक 25–9–97 को प्रस्ताव सं0 1 के कम सं0 6 पर अप्रार्थी सं0 2 रघुवीर को भूखण्ड सं0 बी 4 व बी 8 का आवंटन किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि पैसे भरवा कर पट्टा जारी किया जावे। रोकड़ बही में दिनांक 20–8–97 को राशि जमा होना दर्शायी गई है, लेकिन बाद में रसीद सं0 19 से लेकर रसीद सं0 38 तक की प्रविष्टियॉ एवं अन्य वाउचरों को निरस्त किया गया है एवं अगले पेज पर अंकित रसीद सं0 31 से 38 तक के इन्द्राज को भी निरस्त किया गया है। निरस्तीकरण की कार्यवाही क्यों की गई, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा निगरानीकर्ता को आवंटन शुदा भूखण्ड बी 84 दिनांक 19–3–91 को, अप्रार्थी सं0 2 रघुवीर को निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन, बिना किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये, जिसका पट्टा निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रभावी होते हुए, पुनः दिनांक 25–9–97 को अप्रार्थी सं0 2 रघुवीर को निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन नियमविरूद्ध अवैध रूप से किया गया है, जिसका अधिकार ग्राम पंचायत, मोरजण्डखारी को नहीं था तथा न ही आवंटन हेतु ग्राम पंचायत के पास जगह उपलब्ध थी।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 23–8–13 के अनुसार " विवादास्पद स्थल पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1981 में पट्टे जारी किये गये हैं। वर्ष 1981 से पूर्व का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इससे यह प्रतीत होता है कि वर्ष 1984–85 में ग्राम पंचायत के मूल नक्शे में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन करते समय ध्यान नहीं रखा गया कि पुरानी आबादी के उतर में कुल कितनी जगह शेष है। वास्तव में मौके पर जगह कम है तथा प्लाट अधिक बना कर विकय किए गए हैं, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है। पटवारी द्वारा दिये गये पत्थरगढी निशान से सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये नक्शे अनुसार पैमायश की गई, जिसमें 1984–85 के 'ले–आउट' तथा पुरानी आबादी की 121 फीट जगह पाई गई। उक्त ले आउट में भूखण्डों के कम दो–दो बार अंकित हैं। उक्त ले आउट प्लाट सं0 बी/73, बी/74, बी/75, बी/76, बी/77, पर लालस्याही से ओवरराईटिंग कर कमशः बी/1, बी/2, बी/3, बी/4, बी/5 अंकन पाया गया है। इसी प्रकार, बी/81 तीन जगह पर व बी/82 दो जगह पर अंकित है। प्रस्तुत ले आउट 84–85 पर दिये गये

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

गौसवारे पर बी श्रेणी साई 60 गुणा 75 फुट प्लाट सं0 68 पर कॉट छॉट की गई है तथा मूल नक्शे पर भी बार बार कॉट छॉट की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड में खसरा आबादी रजिस्टर, क्रय विक्रय रजिस्टर, मूल आवंटन पत्रावलियॉ, नक्शे में संशोधन बाबत पंचायत कार्यवाही, ग्राम सभा कार्यवाही नक्शे में संशोधन का सक्षम अधिकारी का आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रस्तुत मूल ले आउट प्लान 84–85 प.रा. नि. 142 अनुसार वरिष्ट नगर नियोजक से अनुमोदित कराया गया होता तो उक्त स्थिति उत्पन्न नहीं होती "।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 5756 दिनांक 23–12–13 में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी के ले आउट प्लान 1984–85 के अनुसार नक्शे में प्लाट सं0 बी/1 से बी/8 तक ट्रेस शुदा हैं, उनके दक्षिण की ओर प्लाट सं0 बी/82 से बी/85 हाथ से ट्रेस किये गए हैं जो नक्शे अनुसार नई आबादी व पुरानी आबादी के बीच की जगह है। प्लाट क्रमांक अनुसार दोनों जगह भिन्न –2 हैं। इसके विपरीत निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि जॉच निगरानीकर्ता के सामने नहीं की गई है और न ही कमेटी बना कर ऐसी जॉच की गई है और न ही ऐसी जॉच के लिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया गया था । साक्ष्य के रूप में इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर इस रिपोर्ट को ले आउट के अनुसार माना जावे तो सही है किन्तु मौके पर स्थिति ऐसी नहीं है। चूँकि रिपोर्ट दिनांक 23–12–13 न्यायालय के आदेश से नहीं मंगवाई गई है इसलिए साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने न्यायिक निर्णय आर एल डब्ल्यू 2010(4) पेज 3576 में अभिनिर्धारित किया है कि :–

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 97 – पट्टे निरस्त करना – ग्राम पंचायत ने दिनांक 18–12–1949 को विवादित भूमि का पट्टा प्रत्यर्थी सं0 2 को आवंटित की – ग्राम पंचायत ने पुनः उसी भूमि का पट्टा 3–11–1981 को प्रार्थी के पक्ष में जारी किया – पुनरीक्षण में अतिरिक्त कलक्टर ने धारा 97 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पट्टे निरस्त किये– अभिनिर्धारित – उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय करने हेतु उपलब्ध ही नहीं थी क्योंकि उसे तो 18–12–1949 को ही प्रत्यर्थी सं0 2 को आवंटित की जा चुकी थी – ग्राम पंचायत ने इस बात का खण्डन भी नहीं किया। इसके विपरीत उसने अनुपस्थित रहने का ही विकल्प चुना – यह एक मिलीभगत का मामला है – प्रतिकूल अनुमान लगाते हुए याचिका 5000/– रूपये की कीमत सहित खारिज की।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायिक निर्णय के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं। उक्त न्यायिक निर्णय के खण्डन में कोई सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं ।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि अवैध आदेश के विरूद्ध कभी भी निगरानी की जा सकती है – अपने इस तर्क के समर्थन में आर आर डी 1992 रामचन्द्र बनाम राज्य अपील सं0 25/86 में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

-2-92 को पारित निर्णय का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है जिसमें माननीय मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " **जब प्रारम्भिक आदेश ही क्षेत्राधिकार के बाहर है तो केवल मियाद के प्रश्न पर क्षेत्राधिकार से बाहर दिये गये आदेश को वैध करार नहीं दिया जा सकता। यदि आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर दिया गया है और अवैध है और अपील मियाद के बाद पेश हुई है तो नम्र रूख अपनाया जाकर अपीलान्ट की वाजिब प्रार्थना पर अवश्य गौर किया जाना चाहिये** " ।

हालॉकि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में निगरानी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है। निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 1997 के निगरानीकृत आदेश को दिनांक 23-9-13 को निगरानी में करीब 17 वर्ष बाद चुनौति दी गई है। ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी का निगरानीकृत आदेश प्रारम्भिक तौर पर ही क्षेत्राधिकार के बाहर है एवं ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा दोहरा आवंटन किया गया है जबकि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी के पास निगरानीकृत भूखण्ड को विकय करने हेतु भूमि उपलब्ध ही नहीं थी क्योंकि उसे तो ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी दिनांक 19-03-1991 को ही निगरानीकर्ता को आवंटित कर चुकी थी । इस प्रकार दिनांक 4-2-14 को धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी दायर करने में हुए विलम्ब को माफ किया जा चुका है।

इस प्रकार, उपरोक्त समग्र विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा वर्ष 1991 में निगरानीकर्ता को निगरानीकृत भूखण्ड सं0 बी/84 साईज 60 गुणा 75 फुट का आवंटन विधिसम्मत् तरीके से किया गया था जिसे बिना किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये, जिसका पट्टा प्रभावी होते हुए, पुनः दिनांक 25-9-97 को अप्रार्थी सं0 2 रघुवीर पुत्र श्री गुरदयालराम को निगरानीकृत भूखण्ड का आवंटन नियमविरूद्ध अवैध रूप से दोहरा आवंटन किया गया है, जिसका अधिकार ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी को नहीं था। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी सं0 2 साहबराम को निगरानीकृत भूखण्ड सं0 बी/4 व बी/8 का दिनांक 25-9-97 को किया गया आवंटन नियमविरूद्ध एवं अवैध होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति रेकार्ड सहित अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 22-8-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/8/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)